(2020) 1 S.C.R 761

मुकेश कुमार

विरूद्ध

भारत संघ एवं अन्य 2020

रिट याचिका (आपराधिक) 40/2020

29 जनवरी, 2020

(आर 0 भानुमति, अशोक भूषण एवं ए 0 एस 0 बोपन्ना, न्यायमूर्तिगण)

भारत का संविधान – अनुच्छेद 32, 72 और 161 – मृत्युदण्डादेश की सजा पाए एक कैदी द्वारा दारय दया याचिका की अस्वीकृति – न्यायिक पुनरीक्षण– याचिकाकर्ता को निर्भया मामले में, जिसमें पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, दोषी ठहराया गया था – निचली अदालत ने घटना को 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में रखा और याचिकाकर्ता को मृत्युदण्डादेश की सजा सुनाई – उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदण डादेश की पुष्टि की – याचिकाकर्ता ने, अपने सभी उपचारों का इस्तेमाल करने के बाद 14.01.2020 को तिहार कारा के अधीक्षक के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत और उपराज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका दायर की – याचिकाकर्ता की दया याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 1-उपराज्यपाल ने 15.01.2020 को और भारत के राष्ट्रपति ने 17.01.2020 को अस्वीकृत कर दिया-याचिकाकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका - याचिकाकर्ता ने अपनी मृत्युदण्डादेश की सजा को निम्नलिखित कारणों से कम करने की मांग की: (i) महत्वपूर्ण सामग्रियां भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखी गई थीं और जब दया याचिका पर विचार किया जा रहा था, तब उनकी अनदेखी की गई; (ii) दया याचिका को अस्वीकार करने में एक पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण था और पूर्ण रूप से मनन का अभाव था; (iii) याचिकाकर्ता डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक एकांत कारावास में था; (iv) कारागार में कैदियो के दुख दर्द जैसे प्रासंगिक परिस्थितियों का विचार न करना; (v) याचिकाकर्ता की दया याचिका पर विचार करते समय स्थापित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। उपधारित-सर्वोच्च न्यायालय यह दृष्टिकोण रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत कार्यकारी आदेशों की सीमित न्यायिक पुनरीक्षण होनी चाहिए - गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं उपराज्यपाल के बीच हुए संचार से संबंधित दो याचिका भारत के राष्ट्रपति के समक्ष टिप्पणी के साथ रखा गया था, जिसका अवलोकन किया गया था। यह पाया गया कि सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि विचारण न्यायालय का निर्णय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख, मामले का विवरण, पनुरीक्षण/सुधार याचिकाओं के विवरण और याचिकाकर्ता के अन्य विवरण जैसे पूर्व आपराधिक इतिहास

आदि, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की सिफारिश, ये सभी दस्तावेज भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका के साथ भेजे और रखे गए थे – इस प्रकार, इस दलील में कोई बल नहीं है कि संबंधित सामग्रियों को राष्ट्रपति के विचार से बाहर रखा गया था – इसके अलावे, यह माना जाना चाहिए कि जब शक्ति एक बहुत उच्च प्राधिकरण में निहित होती है, तो यह माना जाना चाहिए कि उक्त प्राधिकरण सभी पहलुओं का एक उद्देश्यपूर्ण विचार करने के बाद सावधानी से काम करेगा। आवेदक की दया याचिका का त्वरित अस्वीकृति पुनरीक्षण का आधार नहीं है और न ही यह सुझाव देता है कि इसके पूर्व निश्चित और मनन का अभाव था- जहाँ तक याचिकाकर्ता के कारावास में पीड़ा का आरोप है, उस स्थिति में, नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य, एपुरु सुधाकर और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, और शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत सत्ता का प्रयोग केवल वहाँ इंगित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है - याचिकाकर्ता के कारावास में झेली गई कथित पीड़ा, राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बन सकती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत याचिकाकर्ता की दया याचिका को अस्वीकृत किया गया है - परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति द्वारा याचिकाकर्ता की दया याचिका को अस्वीकृत करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं थे।"

"शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2014) 3 SCC 1 : [2014] 1 SCR 609 (6);** विकाश चटर्जी बनाम भारत संघ और अन्य **(2004) 7 SCC 634 (14);** एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य **(2006) 8 SCC 161 : [2006] 7 Suppl. SCR 81 (16) –** पर निर्भर किया गया।

मुकेश और अन्य बनाम दिल्ली राज्य (NCT दिल्ली) और अन्य (2017) 6 SCC 1 : [2017] 6 SCR 1 (2); सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य **(1978) 4 SCC 494 : [1979] 1 SCR 392 (6);** देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर बनाम दिल्ली राज्य (NCT दिल्ली) **(2013) 6 SCC 195 : [2013] 6 SCR 676 (10);** केहर सिंह बनाम भारत संघ **(1989) 1 SCC 204 : [1988] 3 Suppl. SCR 1102 (11)** सत्यपाल V हरियाणा राज्य बनाम **(2000) 5 SCC 170 : [2000] 3 SCR 858 (14);** नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य **(2011) 4 SCC 353 : [2011] 4 SCR 983(16);** मारू राम बनाम भारत संघ और अन्य **(1981) 1 SCC 107(26);** नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य **(2011) 4 SCC 353 : [2011] 4 SCR 983(31) – का उल्लेख किया गया है।**

न्यायालय का निर्णय संदर्भ:

[2017] 6 एससीआर 1 पैरा 2 का उल्लेख किया गया

[2014] 1 एससीआर 609 पर निर्भर किया पैरा 6, 11 पर

[1979] 1 एससीआर 392 पैरा 6, 27 का उल्लेख किया गया

[2013] 6 एससीआर 676 पैरा 10 का उल्लेख किया गया

[1988] 3 सप्ली. एससीआर 1102 पैरा 11 का उल्लेख किया गया

[2000] 3 एससीआर 858 पैरा 14 का उल्लेख किया गया

(2004) 7 एससीसी 634 पैरा 14 पर निर्भर किया

[2006] 7 सप्ली. एससीआर 81 पैरा 16, 31 पर निर्भर किया

[2011] 4 एससीआर 983 पैरा 16, 31 का उल्लेख किया गया

(1981) 1 एससीसी 107 पैरा 26 का उल्लेख किया गया

आपराधिक मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 40/2020।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

श्रीमति अंजना प्रकाश, सुश्री रेबेका जॉन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री वृंदा ग्रोवर, सिद्धार्थ शर्मा, मृगांक प्रभाकर, सुश्री नौलश्री पाठक, हर्ष बोरा, सुश्री रता अप्पनेंडर, सुश्री प्राविता कश्यप, सुश्री जोशिका सर्राफ, गौतम प्रभाकर, सुश्री साक्षी बांगा, सुश्री तनिमा किशोर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री तुषार मेहता, एसजी, चिराग एम. सर्राफ, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, कानु अग्रवाल, जितेन्द्र कुमार झा, सुश्री सीमा कुशवाहा, एस. नयनम, अभिलाषा भारती, सुश्री वंदना रंजन, रजत नायर, बी.वी. बालराम दास, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायमूर्ति आर. भानुमती के द्वारा पारित आदेश:

यह रिट याचिका मृत्युदण्ड पाए याचिकाकर्त्ता-मुकेश कुमार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी दया याचिका के भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृति को चुनौती देते हुए और अपनी मृत्युदण्डादेश की सजा को कम करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर की है:-

(i) संबंधित सामग्री राष्ट्रपति के समक्ष पेश नहीं की गई थी और दया याचिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया था;

(ii) दया याचिका को अस्वीकार करने में एक पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण था और पूर्ण रूप से मनन का अभाव था;

(iii) याचिकाकर्ता की डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक एकांत कारावास के कारण, याचिकाकर्ता गंभीर मानसिक रोगों से ग्रसित हो गया है;

(iv) कारा में कैदियों की पीड़ा जैसी प्रासंगिक परिस्थितियों की अनदेखी और बाहरी और असंगत परिस्थितियों का विचार;

(v) याचिकाकर्ता की दया याचिका पर विचार करते समय स्थापित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन न करना।

2. वर्तमान रिट याचिका भारत के राष्ट्रपति द्वारा याचिकाकर्ता की दया याचिका के अस्वीकृत से संबंधित है। याचिकाकर्ता निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाला अपराधी है, जो 16.12.2012 की रात दिल्ली में चलती बस में पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार करने के अपराध से संबंधित है। विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों को दिनांक 13.09.2013 के पारित निर्णय के द्वारा दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.03.2014 के अपने निर्णय से मृत्युदण्डादेश की पुष्टि की और सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 05.05.2017 को पारित निर्णय द्वारा मृत्युदण्डादेश की पुष्टि की थी। दिनांक 05.05.2017 को मुकेश और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य **(2017) 6 SCC 1** में, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और विस्तृत तर्क देते हुए यह स्थापित किया कि कोई भी घटनाक्रम कम करने या उदार बनाने वाली परिस्थितियां नहीं थीं। इसी प्रकार, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी विस्तृत तर्क दिया कि घटना कुरूर थी और "अत्यंत दुर्लभ" श्रेणी में आती है। पुनरीक्षण याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में खुली अदालत में सुना गया और दिनांक 09.07.2018 को पारित निर्णय द्वारा को अस्वीकृत कर दिया गया। याचिकाकर्त्ता ने याचिका में उसकी गिरफ्तारी के दिन से अर्थात् 18.12.2012 से लेकर 14.01.2020 तक की सभी तारीखें और घटनाए दर्ज की है, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थीा इस अवधि में उसके गांव से गिरफ्तारी से जुडी, वंसत बिहार पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 413/2012 से जुडी सभी महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाएं शामिल हैा

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, सभी कानूनी उपचारों को समाप्त करने के बाद, उसने 14.01.2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत उपराज्यपाल के पास और तिहाड़ कारा नंबर 2 के अधीक्षक के माध्यम से दया याचिका दायर की है। अधीक्षक, तिहाड़ कारा नंबर 2 ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को उसके नामांकन रोल, याचिकाकर्ता की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट, विचारण न्यायालय के निर्णय और याचिकाकर्ता की सजा के विवरण के साथ कानूनी, कारागार, तिहाड़ कारा के प्रभारी अधिकारी को याचिकाकर्ता की दया याचिका के क्रियान्वयन के लिए अग्रेषित किया। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि नाममात्र की सूची में कारा अधीक्षक द्वारा सिफारिश की व्यवस्था होने के बावजूद, तिहाड़ कारा के अधीक्षक, जिन्होंने प्रतिदिन याचिकाकर्ता को देखा है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप से यह राय देने के लिए स्थित हैं कि क्या याचिकाकर्ता ने पश्चाताप किया है और सुधार हुआ है और क्षमा प्रदान किए जाने के योग्य है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कारा में उसका आचरण और सुधार की क्षमता, दया की मांग के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।

4. यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता की दया याचिका के 24 घंटों के भीतर, 15.01.2020 को, उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है और इसे उपराज्यपाल को भेजा है। याचिकाकर्ता की दया याचिका को

15.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 - उपराज्यपाल ने अस्वीकृत कर दिया। 16.01.2020 को, प्रतिवादी संख्या 2 - एनसीटी दिल्ली ने याचिकाकर्ता की दया याचिका की अस्वीकृति की सिफारिश की और उसे भारत के राष्ट्रपति को अग्रसारित की गई। याचिकाकर्ता की दया याचिका को भारत के राष्ट्रपति ने 17.01.2020 को अस्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता की दया याचिका के अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप, सत्र न्यायाधीश ने 17.01.2020 को एक नया निष्पादन वारंट जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता को 01.02.2020 को फांसी दिए जाने का निर्देश था।

5. चूंकि याचिकाकर्ता के पास उसकी दया याचिका के विचारण से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं थे, इसलिए 17.01.2020 को याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से तिहाड़ कारा के अधीक्षक के समक्ष याचिका दायर किया। गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गृह सचिव, भारत सरकार से उसकी दया याचिका से संबंधित सभी दस्तावेज मांगते हुए अनुरोध किया। 20.01.2020 को, याचिकाकर्ता ने तिहाड़ कारा के अधीक्षक, गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गृह सचिव, भारत सरकार के सामने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन दिया, जिसमें उसने अपनी दया याचिका से संबंधित सभी दस्तावेजों की मांग की थी। याचिकाकर्ता के द्वारा अपने वकील के माध्यम से, दायर किये गए याचिका के जवाब में तथा 20.01.2020 को दायर किये गए उसके सूचना के अधिकार याचिका के जवाब में, तिहाड़ कारा के अधीक्षक ने 20.01.2020 से 23.01.2020 के बीच याचिकाकर्ता को उसकी दया याचिका से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए।

6. अधिवक्ता श्रीमती अंजना प्रकाश, जो कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति संवैधानिक कर्तव्य है और इसे दिशा-निर्देशों के प्रकाश में और बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2014) 3 SCC 1** पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जब दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए, तो सभी संबंधित दस्तावेज़ जैसे कि वाद का अभिलेख, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने चाहिए और गृह मंत्रालय को उचित समय के भीतर अपनी राय भेजनी चाहिए। तिहाड़ कारा के अधीक्षक के 14.01.2020 के पत्राचार पर भरोसा करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जैसा कि शत्रुघ्न चौहान में निर्धारित किया गया है, संबंधित सामग्री भारत के राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी गई है और संबंधित सामग्री को विचाराधीन नहीं रखा गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य **(1978) 4 SCC 494** के नियमों का उल्लंघन करते हुए, याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में रखा गया है और इस पहलू पर विचार नहीं किया गया।

7. याचिकाकर्ता के तर्क का खण्डन करते हुये, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जेनरल ने यह दावा किया कि दया याचिका को आगे बढ़ाते हुए शत्रुघ्न चौहान के पैरा 23 और 24.2 में निर्धारित सभी संबंधित सामग्रियों को भारत के राष्ट्रपति के सामने रखा गया है। विद्वान सॉलिसिटर जेनरल ने यह भी बताया कि शत्रुघ्न चौहान और अन्य निर्णयों में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। जहाँ तक एकांत कारावास के आरोपों की बात है, विद्वान सॉलिसिटर जेनरल ने यह कहा कि निदेशक के शपथ पत्र के अनुसार सॉलिसिटर जेनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल एक ऐसे कमरे में रखा गया था जिसमें लोहे की सलाखें थीं जो हवा के लिए खुली थीं और याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार अन्य कैदियों के साथ मिलजुल रहे थे, जिसे

एकांत कारावास के समान नहीं माना जा सकता। जहाँ तक दया याचिका के शीघ्र अस्वीकृत के करने का सवाल है, सॉलिसिटर जेनरल ने प्रस्तुत किया कि दया याचिका के निपटान में देरी, दया याचिका पर विचार का एक आधार हो सकती है; जबकि दया याचिका पर शीघ्र विचार और उसे अस्वीकृत करना, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता न ही यह सुझाव देता है कि वहाँ पूर्व-निर्धारित मानसिकता थी और मानसिकता का अनुप्रयोग नहीं हुआ था।

8. हमने याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हुई माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अंजना प्रकाश और भारत संघ व दिल्ली सरकार के लिए उपस्थित हुए विद्वान सॉलिसिटर जेनरल श्री तुषार मेहता की दलीलें सुनीं, और उनके तर्कों पर विचार किया और याचिका में किए गए दावों की समीक्षा की।

9. इस रिट याचिका का विषय हैा भारत के संविधान के अनुच्छेद-72 के अंतर्गत दिए गए याचिका की भारत के राष्टपति द्वारा 17.01.2020 को अस्वीकृति। इस रिट याचिका में, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दर्ज की गई याचिकाकर्त्ता ने अपने दया याचिका के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अस्वीकृति के आदेश को चुनौती दी गयी है, मुख्यत: उन विभिन्न कारणों पर, जैसे कि दया याचना की विचार करने के निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।

10. संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध में सजा किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की दया, बचाव, स्थगन, या सजा की क्षमा या निलंबित, सजा की क्षमा करने या बदलने की शक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 72(1)(c) के अनुसार, इस शक्ति का हिस्सा है सजा में समय की सजा की कमी होने के मामलों में समय की सजा की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, उपराज्यपाल की तरह ही राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को राहत देने की शक्ति है। इस संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दायर की गई याचिकाओ के विचार के लिए विभिन्न कारकों का विचार किया जाना आवश्यक होता है, जैसे कि अपराध की प्रकृति, अपराध के तरीके और समाज पर इसका प्रभाव और इस प्रक्रिया में लगने वाला समय देरी के रूप में नहीं माना जा सकता हैा जैसा कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम राज्य द्वारा होल जो (NCT ऑफ दिल्ली) **(2013) 6 SCC 195** में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दायर की गई दया याचनाओं की व्यवस्था विभिन्न कारकों का विचार करने की आवश्यकता होती है।

11. केहर सिंह बनाम संघ (1989) 1 SCC 204 और अन्य फैसलों का संदर्भ देने के बाद, शत्रुघ्न चौहान और अन्य (2014) 3 SCC 1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की शक्ति को और ध्यान से देखा और यह उपआधारित किया है कि यह संवैधानिक कर्तव्य है, -

> **"14.** अनुच्छेद 72 और 161 दोनों, लोगों की शक्ति को सर्वोच्च पदाधिकारियों यानी कि राष ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल मे, जैसा कि मामला हो, स्थानांतरित करते है, और इन दोनो अनुच्छेदो में शक्तियो की सीमा को लेकर कोई सीमाकंन नहीं हैा राष्ट्रपति या राज्य के राज यपाल, जैसा कि मामला हो सकता है, अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति का प्रयोग करते

समय सबूत को फिर से देख सकते हैं और इस शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से न्यायिक परिसर से अलग होता है। इस न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका किसी अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठी है, बल्कि राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा सजा की माफी प्रदान करने की शक्ति उपयुक्त मामलों में कृपा और मानतवता का एक कार्य है अर्थात् यह स्वतंत्र, पूर्ण और अनियंत्रित प्रकृति की है

19. संक्षेप में, संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के पास दी गई शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है। इसके परिणामस्वरूप, यह न केवल एक कृपा का मामला है और न ही कोई विशेषाधिकार का मामला है, बल्कि यह सबसे उच्च प्राधिकरण में जनता द्वारा सौपी गयी विशिष्ट संवैधानिक जिम्मेदारी है। दया की शक्ति मुख्य रूप से एक कार्यकारी कार्यवाही है, जिसे न्याय के समर्थन में और न के खिलाफ किया जाना चाहिए और इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित एक कार्यकारी कार्यवाही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत की शक्ति को मंत्रिमंडल की सलाह के साथ उपयोग किया जाना चाहिए।"

12. इन अनुच्छेदों के तहत शक्ति का प्रयोग का तरीका एक विवेकाधिकार का विषय है। शत्रुघन चौहान के मामले में पैराग्राफ (25) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "इन अनुच्छेदों के तहत शक्ति का प्रयोग का तरीका मुख्य रूप से एक विवेकाधिकार का मामला है और सामान्य तौर पर अदालतें निर्णय के गुण दोष के आधार पर निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालाकिं, आदलतो के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है ताकि यह देखा जा सके कि संवैधानिक प्राधिकारी निष्कर्ष पर पहुचने से पहले सभी संबंधित सामग्रियों पर विचार करें।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने यह संघटित दृष्टिकोण दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत कार्यपालिका आदेशों को सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए होना चाहिए। शत्रुघन चौहान में निम्नलिखित रूप से कहा गया था:-

"22. ... नि:संदेह यह विवाद से परे है कि अनुच्छेद 72/161 के तहत प्रयुक्त शक्ति का मामला सीमित । इस संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है। केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) 1 SCC 204, अशोक कुमार बनाम भारत संघ (1991) 3 SCC 498, श्रवण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 4 SCC 75, सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 SCC 170 और विकाश चटर्जी बनाम भारत संघ (2004) 7 SCC 634।)"

14. अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत याचिका की न्यायिक समीक्षा के आधार को सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000)5 SCC 170 में निर्धारित किया गया है, जिसे संविधान पीठ ने विकाश चटर्जी बनाम भारत संघ और अन्य (2004)7 SCC 634 में मान्यता दी, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:-

9. इस न्यायालय के एक डिविजन बेंच के निर्णय में सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 SCC 170 में इन्हीं आधारों को पुन: कहा है: (i) राज्यपाल द्वारा स्वयं

अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा सलाह दिए जाने के बिना; या (ii) राज्यपाल द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण; या (iii) राज्यपाल द्वारा बिना मनन-चिंतन के आदेश पारित करना; या (iv) राज्यपाल का निर्णय कुछ बाह्य विचारों पर आधारित होना; या (v) दुर्भावना। यह वे आधार हैं जिन पर न्यायालय अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के आदेश, या अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है।

10. मारू राम बनाम भारतीय संघ के मामले में, पीठ ने उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 72 द्वारा प्रदत्त शक्ति संविधान द्वारा संघ के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी को प्रदान की गयी शक्ति है। संविधान पीठ ने यह भी माना है कि जब न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि जब एक शक्ति किसी बहुत उच्च प्राधिकरण में निहित होती है, तो यह माना जाता है कि संबंधित प्राधिकरण सही तरीके और सावधानीपूर्वक, सभी पहलुओं का उद्देश्यपूर्ण विचार करने के बाद प्रयोग में और भी सतर्कता होगी।" शक्ति का प्रयोग करेगा और आगे जितनी अधिक शक्ति होगी, उसके प्रयोग उतना ही सतर्कता से किया जायेगा।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है लेकिन इसके लिए आधार बहुत सीमित हैं, संविधान पीठ ने बिकास चटर्जी में निम्नलिखित रूप में रखा:-

"8. भले ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक याचिका पर भारत के राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है परंतु इसके लिए आधार बहुत ही सीमित हैं। संविधान पीठ के निर्णय मारु राम बनाम भारतीय संघ (1981) 1 SCC 107 में इस अदालत ने माना है कि केवल एक ऐसे मामले में जहां कोई विचारणा नहीं हुई है या विचारणा पूर्णतः अप्रासंगिक आधारों पर हुई है या राष्ट्रपति का निर्णय अतार्किक, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण है, तो वही न्यायिक समीक्षा का आधार बन सकता है।"

16. एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य **(2006) 8 SCC 161** में, यह निम्नलिखित रूप में रखा गया है:

"34. इसलिए यह स्थिति निर्विवाद है कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा संभव है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:

(क) आदेश को मनन किए बिना पारित किया गया है;

(ख) आदेश दुर्भावना से पारित किया गया है;

(ग) आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(घ) महत्वपूर्ण सामग्री को विचार से बाहर रखा गया है;

(ड) आदेश मनमानापन से ग्रस्त है।

35. दो महत्वपूर्ण पहलू भी विद्वान न्यायमित्र द्वारा उजागर किए गए थे; एक तो यह कि क्षमादान/छुट देने वाले आदेश में कारणों का उल्लेख करने की इच्छाशक्ति को लेकर, जबकि दूसरा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्षमादान/छुट देने वाले आदेश को वापस लेने की शक्ति से संबंधित था, यदि बाद में सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिससे यह दिखाई दे कि कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों पर विचार नहीं किया गया था या कुछ विस्तृत मूल्य की सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया था। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, कारणों को इंगित किया जाना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायिक समीक्षा का अभ्यास प्रभावित होगा।

उसी दृष्टिकोण को नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य **(2011) 4 SCC 353** में दोहराया गया था।

17. यह इस न्यायालय द्वारा लगातार ली गई दृष्टि है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है और इसे केवल निम्नलिखित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है:-

(क) कि आदेश बिना मनन के पारित किया गया है;

(ख) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(ग) कि आदेश अन्यथा या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(घ) कि संबंधित सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है;

और

(ङ) कि आदेश मनमाने से ग्रस्त है।

18. उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में, आइए हमे वर्तमान रिट याचिका और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करें, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से दया याचिका के अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित आधारों को उठाया है:

(i) प्रासंगिक सामग्री का ना भेजा जाना और मनन का अभाव तथा संबंधित परिस्थितियों पर विचार न करना;

(ii) तिहार कारा के अधिक्षक, की सिफारिश का नाम-मात्र रोल में अनुपस्थिति ;

(iii) याचिकाकर्त्ता की पीडा;

(iv) एकान्त कारावास;

(v) याचिका को बिना मनन किये त्वरित रूप से खारिज कर दिया गया।

19. **प्रतिवादः भारत के राष्ट्रपति के समक्ष संबंधित सामग्रियों को न रखा जाना और सामग्रियों को विचारणा से बाहर रखा जानाः-** शत्रुघ्न चौहान पर निर्भरता रखते हुए यह तर्क दिया गया कि मृत्युदण्डादेश को कम करने की शक्ति कोई कृपा का कार्य नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह तर्क दिया गया कि शत्रुघ्न चौहान मामले और अन्य निर्णयों में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्रियों को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाना चाहिए था। हमारा ध्यान 14.01.2020 की तारीख के संवाद की ओर आकर्षित करते हुए अधीक्षक केन्द्रीय कारा तिहाड़ के कार्यालय में यह प्रस्तुत किया गया कि केवल चार दस्तावेज़ जैसा कि अनुबंध पी/2 में उल्लिखित है, (i) मुकेश, पुत्र मंगे लाल की नामांकन सूची; (ii) नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट; (iii) विचारण न्यायालय का निर्णय; और (iv) सजा के विवरण, केवल यह चार दस्तावेज़ भेजे गए हैं और सभी संबंधित सामग्री राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। वरीय अधीक्षक ने तर्क दिया कि कुछ दस्तावेज़ जैसे (i) पीडब्ल्यू 45 द्वारा प्रदर्शित डीएनए रिपोर्ट; (ii) ओडोंटोलॉजी रिपोर्ट; (iii) द 0 प्र 0 सं0 की धारा 154 के तहत शिकायत; (iv) केस डायरी और चार्जशीट और ऐसे अन्य दस्तावेज़ जो याचिककर्ता की निर्दोषता को साबित करें, वे सभी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे और इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के संबंधित सामग्री को विचार में नहीं लिया गया।

20. भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज़ के सवाल को विचार करते समय और 'एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' **(2006) 8 SCC 161** में संदर्भ करने के बाद, शत्रुघन चौहान में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया:"

24.2.....एपरू सुधाकर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य **(2006) 8 SCC 161** के मामले में इस अदालत ने यह कहा: .....

> 35. विद्वान न्यायमित्र ने दो महत्वपूर्ण पहलू को भी उजागर किए गए; एक क्षमा/छूट देने के आदेश में कारणों का उल्लेख करने की वांछनीयता से संबंधित था जबकि दूसरा उतना ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि माफी/छूट देने के आदेश को वापस लेने की शक्ति के बारे में, अगर बाद में, सामग्री प्रस्तुत की जाती हैं जो यह दर्शाती हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ विचार नहीं की गईं या कुछ व्यापक मूल्य की सामग्रियाँ विचार से बाहर रखी गई थीं। विद्वान न्याय मित्र सीखे गए अमीकस क्यूरी के अनुसार, कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही प्रभावित होगी।"
>
> **103.....**उदाहरण के लिए, दया याचिका की प्राप्ति पर, संबंधित विभाग को दोषसिद्धि से जुड़े सभी अभिलेख /सामग्रियों को मांगना पड़ता है। दोषसिद्धि से जुड़े सभी सामग्रियों के बजाय टुकड़ों में अभिलेख मांगना निंदनीय है। जब मामला राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, तो गृह

मंत्रालय की यह जिम्मेदारी होती है कि वे निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तथा दोषसिद्धि से जुड़े किसी भी अन्य प्रासंगिक सामग्री को एक साथ रखें और दस्तावेजों को टुकड़ों में मांगने का अनुरोध न करें।"

21. अनुलग्नक P/2 में उल्लिखित दस्तावेज़, जो कि केंद्रीय कारागार, तिहाड़ के अधीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दया याचिका के विचारार्थ भेजे गए थे, वे दस्तावेज़ प्रभारी अधिकारी (विधि), कारागार मुख्यालय, तिहाड़ को भेजे गए थे। चार दस्तावेज़ यानी (i) मुकेश पुत्र मंगे लाल का नामांकन रोल; (ii) नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट; (iii) विचारण न्यायालय का निर्णय; और (iv) अनुलग्नक P/2 में दंडों का विवरण संभवत: केन्द्रीय कारा तिहाड के अधीक्षक के पास उपलब्ध केवल वही दस्तावेज़ थे या केंद्रीय कारा, तिहाड़ के अधीक्षक से मांगे गए थे। यह कहने में कोई युक्ति नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष केवल उपरोक्त चार दस्तावेज़ ही मामले के रूप में रखे गए थे।

22. इस संदर्भ में, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने यह दर्ज किया है कि शत्रुघ्न चौहान मामले के पैराग्राफ (23) और (24.2) में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और विस्तार से जांच करने के बाद, राष्ट्रपति ने 17.01.2020 को दया याचना को खारिज कर दिया। हम स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हमने गृह मंत्रालय, NCT दिल्ली और उपराज्यपाल के कार्यालय के संवाद को शामिल करते हुए दो अभिलेखों को देखा है और भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले नोट की अभिलेख को देखा है। न्याय मंत्रालय के उपसचिव (न्यायिक) को दिनांक 15.01.2020 को भेजे गए एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली के साथ संलगन पत्र से यह ज्ञात होता है कि सभी संबंधित दस्तावेज जैसे विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और मामले के अभिलेख की साफ और स्पष्ट प्रति तथा याचिकाकर्त्ता और अन्य सह अभियुक्तो द्वारा दायर की गई समीक्षा। याचिकाओं का विवरण और वर्त्तमान स्थिति तथा याचिकाकर्त्ता के अन्य विवरण और वत्तर्मान स्थिति तथा याचिकाकर्त्ता के अन्य विवरण जैसे याचिकाकर्त्ता का पीछला आपराधिक इतिहास, याचिकाकर्त्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति और दिल्ली सरकार की सिफारिश सहित सभी एन0सी0टी0 दिल्ली द्वारा भेजे गये थे। राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाने वाली दया याचिका के साथ। नोट का अवलोकन करके, हमने देखा है कि सभी दस्तावेज पर विचार किया गया था ओर संबंधित अभिलेख और अपराध की परिस्थितियों के तथ्यो पर विचार करने पर, राष्ट्रपति ने दया याचिका को अस्वीकार कर दिया हैा इस दावे में कोई योग्यता नही है कि प्रासंगिक सामग्री राष्ट्रपति के विचार के बाहर रखी गई थी।

23. जहां तक (i) पीडब्ल्यू 45 द्वारा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट; (ii) दंत चिकित्सा रिपोर्ट; (iii) धारा 154 सीआर.पी.सी के तहत शिकायत; (iv) केस डायरी और चार्जशीट तथा अन्य दस्तावेज़ जैसे मृत्यु पूर्व कथन आदि की बात है, तो ये वह सामग्रियां हैं जिन पर भरोसा करके याचिकाकर्ता ने अपनी रक्षा के लिए अपना पक्ष रखा है।

याचिकाकर्ता की रक्षा और ऊपर दिए गए सामग्रियों को विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने विचार में लिया है और याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई रक्षा को अस्वीकृत कर दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा पर निर्भर की गई प्रत्येक और हर सामग्री को राष्ट्रपति के सामने

रखा जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई योग्यता नहीं है कि संबंधित सामग्रियों को राष्ट्रपति के विचार से बाहर रखा गया था।

24. **तिहाड़ कारा के अधीक्षक की सिफारिश का अभाव:-** केंद्रीय कारा, तिहाड़ के अधीक्षक ने नामांकन सूची भेजी है। नामांकन सूची का कॉलम नंबर 23 'कारा अधीक्षक की सिफारिश, यदि **कोई हो'** से संबंधित है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई एक दलील यह है कि दया याचिका को बिना कारा अधीक्षक की सिफारिश के आगे बढ़ाना, जो कि दिशानिर्देशों के अनुसार एक आवश्यक शर्त है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कारा अधीक्षक सही व्यक्ति हैं जो याचिकाकर्ता के कारा में आचरण और उसके पश्चाताप के बारे में और इस बात के बारे में कि याचिकाकर्ता सुधर चुका है, सिफारिश कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कॉलम नंबर 23 को खाली छोड़ दिया गया था और इस प्रकार, दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि तिहाड़ केंद्रीय कारा के अधीक्षक की सिफारिश की मांग की जानी चाहिए थी क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह राय दे सकते थे कि कैदी का आचरण कारा में अच्छा है और क्या याचिकाकर्ता ने पश्चाताप किया है और क्या यह दया याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त मामला है।"

25. नामांकन सूचि, अधीक्षक द्वारा वहाँ मौजूद कॉलम के अनुसार विभिन्न विवरण प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि कॉलम नंबर 23 कारा अधीक्षक की सिफारिशों से संबंधित है, लेकिन यह कारा अधीक्षक को अपनी सिफारिशें देने के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि कॉलम में "कारा अधीक्षक की सिफारिश, यदि हो" शब्द होते हैं। यदि कारा अधीक्षक द्वारा सिफारिश के लिए कॉलम नंबर 23 संबंधित है, **"यदि कोई"** शब्द इस सूचित करता है कि अधीक्षक अपनी टिप्पणियाँ/सिफारिशें देने या न देने के परंपरागत हक है। इसके अतिरिक्त, कारा अधीक्षक की सिफारिश करने के लिए अधीक्षक को सिफारिश देने के लिए अनिवार्य नहीं होता है, और कारा अधीक्षक के विचार को अभिगमन करने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि विचारक का उच्च स्थिति और वह कार्य है जो राष्ट्रपति कर रहे हैं, जिसे कारा अधीक्षक को सिफारिश देने के लिए या न हो, यह उपयुक्त नहीं हो सकता है, और यह भी आवश्यक नहीं था कि बंदी के कारा में रहने के दौरान उसके बाद के व्यवहार के संबंध में अधीक्षक से सिफारिश मांगी जाए।

26. यह कहा गया है कि "मृत्यु दंड मामलों में दया याचिका के संबंध में प्रक्रिया" निर्देश जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, उनमें सात मुख्य दिशानिर्देश "दया याचिका से संबंधित मार्गदर्शन" कहलाते हैं, जो नीचे पढ़े जाते हैं:-

(i) दोषी का व्यक्तित्व (जैसे उम्र, लिंग या मानसिक कमजोरी)।

(ii) क्या अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया है लेकिन फिर भी दोषसिद्धि का निर्णय लिया है?

(iii) क्या यह आरोप लगाया गया है कि नए साक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं, मुख्यतः यह देखने के लिए कि क्या नई जांच उचित है?

(iv) क्या अपील पर न्यायालय ने सजा बढ़ा दी है?

(v) क्या उच्च न्यायालय के जजों की पीठ में कोई मतभेद है जिससे तीसरे जज का संदर्भ लेने की आवश्यकता है?

(vi) क्या सबूतों का उचित रूप से विचार किया गया था जब यह एक गिरोह के हत्याकांड का मामला था?

(vii) क्या जांच और मुकदमे में लंबी देरी हुई थी?

याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को किसी मनन के बिना और बाहरी विचारों के कारण खारिज कर दिया है, जो कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। जैसा कि मारु राम बनाम भारत संघ और अन्य **(1981) 1 SCC 107** में संविधान पीठ द्वारा धारित किया गया और बिकास चैटर्जी को संदर्भित किया गया, न्यायालय को यह दृष्टि रखनी चाहिए कि जब शक्ति एक बहुत उच्च प्राधिकरण में निहित होती है, तो यह माना जाना चाहिए कि उक्त प्राधिकरण मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

27. याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता डेढ़ साल से अधिक समय तक एकांत कारावास में है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य **(1978) 4 SCC 494** और शत्रुघ्न चौहान मामले में निर्धारित कानून का घोर उल्लंघन है।

28. यह देखते हुए कि कारागार अधिनियम की धारा 30(2) में निर्दिष्ट कैदी विभाजन तभी लागू होता है, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका अस्वीकृत की जाती है और तभी व्यक्ति "मृत्युदण्डादेश की सजा के तहत" होता है जिससे कैदी विभाजन लागू होता है।

> **"90.** इसलिए, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 4 SCC 494 में यह माना गया था कि कैदियों के लिए एकांत कारावास, भले ही वह कुछ हद तक नरम या संशोधित क्यों न हो, कारागार अधिनियम की धारा 30 के तहत मृत्युदण्डादेश के अधीन ""कैदियों"" के लिए मान्य नहीं है। मुख्य निष्कर्ष धारा 30(2) के तहत यह है कि एक व्यक्ति "मृत्युदण्डादेश के अधीन" नहीं होता, भले ही सत्र न्यायालय ने उसे मृत्युदण्डादेश की सजा सुनाई हो, परंतु यह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।" वह "मृत्युदण्डादेश के वाक्य के अधीन" नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के माध्यम से या नवीन अपीलीय दंड के रूप में मृत्युदण्डादेश लगाया गया हो, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की संभावना न हो या अपील की गई हो या लंबित हो। यहां तक कि अगर इस अदालत ने मृत्युदण्डादेश दिया है, तो भी माना गया है कि धारा 30 उसे तब तक कवर नहीं करती है, जब तक संविधान द्वारा अनुमति दी गई राज्यपाल और/या राष्ट्रपति के पास दया की याचिका निपटाई नहीं जाती है। बेशक, एक बार राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत होने के बाद, और आगे के याचिका पर, अधिकारियों द्वारा मृत्युदण्डादेश की निष्पादन पर रोक नहीं है, व्यक्ति मृत्युदण्डादेश के वाक्य के अधीन है। उस अंतराल के दौरान, वह धारा 30(2) में निर्दिष्ट हिरासती पृथक्करण को आकर्षित करता है,

प्रावधान के लिए अर्थ के सुधारात्मक अर्थ के अधीन है। "मृत्युदण्डादेश के वाक्य के अधीन होने" का अर्थ है "अंततः कार्यान्वित किए जाने योग्य मृत्युदण्डादेश के अधीन होना"।

29. हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को 08 महीने और 09 दिनों तक सुनील बत्रा के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए एकांत कारावास में रखा गया है, इसे प्रतिवादियों द्वारा खारिज किया गया है। अपने हलफनामे में, महानिदेशक, कारागार ने इस दावे को नकारा है कि याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में रखा गया था। यह कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से, याचिकाकर्ता को एक वार्ड में रखा गया था जिसमें कई एकल कमरे और बैरक थे और उक्त एकल कमरे में हवा के लिए खुले लोहे की सलाखें थीं और इसे एकांत कारावास/एकल कक्ष के समान नहीं माना जा सकता। यह बताया गया है कि कैदी/याचिकाकर्ता जो एकल कक्ष में रखा गया था, वह नियमों के अनुसार रोजाना अन्य कैदियों के साथ बाहर आता है और उनके साथ मिलता-जुलता है। महानिदेशक, कारागार द्वारा दायर हलफनामे में बताए गए दावों को देखते हुए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य **(1978) 4 SCC 494** के सिद्धांतों के उल्लंघन में एकांत कारावास में रखा गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा के लिए एक आधार नहीं हो सकता।

30. **कथित यातनाएं कारा में: -** दया याचिका पर चर्चा करते हुए, याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया कि दया याचिका में, याचिकाकर्ता ने कथित यातनाओं का वर्णन किया है और यह कि उसे कारा में पीटा गया था, यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वह कारा में हर दिन पीड़ित था। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि उसके भाई राम सिंह की वास्तव में हत्या की गई थी, हालांकि उसकी मौत को "आत्महत्या" के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और अपने भाई की मौत के कारण, याचिकाकर्ता "निरंतर भय" में जी रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कारा में उसकी पीड़ाओं के बारे में किए गए दावों पर उसकी दया याचिका को खारिज करते समय विचार नहीं किया गया था।

31. नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य **(2011) 4 SCC 353**, एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य **(2006) 8 SCC 161** और शत्रुघन चौहान के मामलों में स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत सत्ता का प्रयोग केवल वहां इंगित किए गए आधारों पर ही चुनौती का विषय हो सकता है। कारा में झेली गई कथित यातनाएं, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत पारित कार्यकारी आदेश की न्यायिक पुनरीक्षण का आधार नहीं हो सकतीं, जिसमें याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज किया गया हो।

32. **ध्यान और आदेशक पिछले की दया याचना के त्वरण खारिज करने की दिशा में**: याचिकाकर्त्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि बुद्धिमत्ता की अनुप्रयोग था और पूरे मामले के साथ पूर्व दृढ़चित्त मन से आगे बढ़ गया था। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि 14.01.2020 को दया याचना को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्त्ता ने जिसी दिन दया याचना दायर की, उसी दिन अधीक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर में, दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री, भारतीय ने घोषणा की कि सरकार ने याचिकाकर्त्ता की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश कर दी हैा याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि दया याचना को राज्यपाल के पास "बिजली की रफ्तार" से भेजा गया और 16.01.2020 को, दिल्ली सरकार ने दया याचना की खारिजी

की सिफारिश की और इसे भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचाया और उसे उन्होंने 17.01.2020 को खारिज कर दिया। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि पिछले की दया याचना की अस्वीकृति में बुद्धिमत्ता की अनुप्रयोग था क्योंकि यह आकाशीयगति से और पूर्वनिर्धारित मन से अस्वीकर किया गया था।

33. याचिकाकर्त्ता ने 08.01.2020 को सर्वोच्च न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर की और उसे सर्वोच्च न्यायालय में 14.01.2020 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्त्ता 14.01.2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के नाम और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत उपराज्यपाल के नाम दया याचिका दायर की अग्रसारित किया। मंत्रालय ने इसे संबंधित रिकॉर्डों के साथ 16.01.2020 को भारत के राष्ट्रपति को फॉरवर्ड किया। मामले की विचार करने के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने पिछले की कृपा याचना को 17.01.2020 को खारिज किया और पिछले को इसकी अस्वीकृति की सूचना दी।

34. संविधान पीठ द्वारा मारू राम में दिए गए फैसले के अनुसार और बिकास चटर्जी को उद्धृत करते हुए, न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए कि जहां ताक़त एक बहुत उच्च प्राधिकृति में होती है, वह इस धारणा का भावी होना चाहिए कि उस प्राधिकृति ने मामले के सभी पहलुओं का उद्देश्य विचार करके सावधानीपूर्वक कार्रवाई की होगी। जैसा कि पहले कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए नोट का विस्तारपूर्ण है और सभी संबंधित सामग्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई और उसके विचार के बाद, दया याचना को खारिज कर दिया गया। केवल इस कारण से कि पिछले की दया याचना का त्वरित विचार और खारिज करना हुआ, इससे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मामला पूर्वनिर्धारित मन से आगे बढ़ गया था।

35. विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही रूप से विचार किया गया है कि दया याचना को निस्तारण में होने वाली देरी न्यायिक समीक्षा के लिए एक कारण हो सकता है। लेकिन दया याचना की त्वरित विचारणा और उसकी खारिज करने का कोई न्यायिक समीक्षा के आदेश के लिए कारण नहीं हो सकता। न ही यह सूचित करता है कि पूर्वनिर्धारित मन था और विचार का न होना।

36. परिणामस्वरूप, हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पिछले की कृपा याचना को खारिज करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई कारण नहीं पाते हैं और इस याचिका को खारिज किया जाता है। प्रतिवाद की याचना योग्य है। प्रार्थना याचिका को तदनुसार खारिज किया गया है।

अंकित ज्ञान रिट याचिका खारिज

अनुवादक
ओम सागर,
विशेष न्यायाधीश, उत्पाद पटना।